Rajasthan Police District Bhilwara	प्रेसनोट दिनांक 15.12.2025	धर्मेन्द्र सिंह आई.पी.एस. पुलिस अधीक्षक भीलवाडा

➢ हत्या के मामले में 18 माह से फरार 10 हजार का ईनामी अपराधी गिरफतार।

➢ श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भीलवाडा श्री धर्मेन्द्र सिंह द्वारा ईनामी/वांछित अपराधियों की धरपकड के सम्बंध में प्रभावी कार्यवाही एंव गिरफतारी हेतु श्री बुद्धराज आरपीएस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सैक्टर सहाडा के निर्देशन में व श्री सुदर्शन पालीवाल वृत्ताधिकारी वृत गंगापुर गंगापुर , श्री लीलाधर मालवीय पु0नि0 थानाधिकारी पुलिस थाना गंगापुर के सुपरविजन में डीएसटी टीम का गठन किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण :– दिनांक 09.07.24 को प्रार्थी श्री पिन्टु सुवालका निवासी बिकराई थाना गंगापुर ने उपस्थित थाना हो एक रिपोर्ट की पेश की कि दिनाक 09.7.2024 को मेरी मम्मी रोज की तरह खेत पर काम करने गई। दिन के लगभग 3.13 बजे मेरी मम्मी का मेरे मोबाइल नम्बर पर फोन आया। मेरी मम्मी लाली देवी रो रही थी और मुझे बोला कि ये लोग मुझे मार रहे है जल्दी खेत पर आ जा। मै भाग कर खेत पर गया तो देखा कि रामु सुवालका के हाथ मे लठ है तथा मिठुलाल सुवालका के हाथ में भी लठ था , अजयपालसिह उर्फ कपिलसिंह ने मुझे पकड कर मेरे झापट रख कर रोक लिया, मिठुलाल ने जब मेरी मम्मी को खेत में गिराया तो रामु ने मेरी मम्मी को गिरी हुई को पकडा और राजु सुवालका उसके पुराने ट्रैक्टर से मेरी मां लाली देवी की गर्दन पर चढा दिया तथा आगे ले जाकर फिर वापस उल्टा लाकर मेरी मम्मी के कमर पर ट्रैक्टर का टायर चढ़ा दिया मै चिल्ला रहा था, मेरी मम्मी टायर चढ़ने से वहीं गिरी हुई पडी थी। फिर मेरी मम्मी को बांगड हास्पिटल मे भर्ती करवाया। डाक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। वगैरा रिपोर्ट पर प्र0स0 242/24 धारा 103(2) बीएनएस में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के पश्चात आरोपीगण 01. श्री राजु उर्फ राजकुमार निवासी बिकराई 02. श्रीमति रामु सुवालका निवासी बिकराई थाना गंगापुर जिला भीलवाडा को गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया व माननीय न्यायालय में चार्जशीट पेश की गयी। शेष आरोपी कपल सिंह उर्फ अजयपाल सिंह के विरूद्ध धारा 193(9) बीएनएसएस में पैण्डिग चल रहा था। जिसकी सरगमी से तलाश की जा रही थी।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक भीलवाडा द्वारा उक्त प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुये आरोपी को पकडने के लिए चार माह पहले **10 हजार रूपये के ईनाम की घोषणा** की गई थी। विशेष टीम द्वारा तकनीकी सहायता व लगातार निगरानी के आधार पर फरार आरोपी को रेवाडा गॉव के जंगल से डिटेन किया गया। इसे पूछताछ के उपरान्त गिरफतार कर लिया गया है तथा अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है।

उक्त अपराधी के खिलाफ आबकारी वृत चितौडगढ, वृत कपासन, पुलिस थाना बडी सादडी में आबकारी अधिनियम के अपराधो में वाण्टेड होने की जानकारी मिली है।

पुलिस टीम :–

- श्री लीलाधर मालवीय पु0नि0 थानाधिकारी गंगापुर
- श्री ओमप्रकाश हैड कानि. 1263 डीएसटी
- श्री सत्यनारायण शर्मा हैड कानि. 541 साईबर सैल
- श्री राधेश्याम कानि. 1302 साईबर सैल

- **गिरफ्तार अभियुक्त :–**

1:–श्री कपल सिंह उर्फ अजयपाल सिंह पुत्र जसु सिंह राजपुत निवासी रेवाडा थाना राशमी जिला चित्तौडगढ।

–:फोटो:–